

तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

28/9/22

वकील प्रार्थीगण उपरिचत / विद्यापीठ
द्वारा 2 से 03 के वकील उपरिचत /
शेष विद्यापीठ स्वतंत्रता / वकील
विद्यापीठ के अवाध वेदा करने के पक्ष
उपस्थित आवरण दिष्ट जाने के उपरिचत
की अवाध वेदा नहीं किए जाने
के कारण अवाध बन्द किया जाता
है। अभ्युक्त आवरणों की अदर
सुनी गई और अदर पर प्रत्येक
दिनांक परावली का गारपील - पूर्वक
अवलोकन किया। अदरों पाया कि प्रकरण
में अन्तर्गत लगन आवेश जारी हो
रहा है और प्रकरण के प्रत्येक
अदर अदर विवाद नहीं रहे। इसके
लिए लगन आवेश को प्रत्येक
के निर्णय तक अन्तर्गत किया जाना
आवश्यक है।

सिवाया प्रार्थीगण का आवेश - पत्र
अवलोकन किया जाकर न्यायालय द्वारा
जारी लगन आवेश दिनांक 23.3.2021
को प्रत्येक के निर्णय तक अन्तर्गत किया
जाता है।

आवेश अदरों पर
परावली के अदर अदर
द्वारा प्रत्येक है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा